दिनांक 28.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 291/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्करो को 1.0645 कि0ग्रा0 औजी गांजा (ओसियल ग्रीन/हाइड्रोपोनिक बीज (DRONABINOL) व 147 ग्राम MDMA (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01.22 करोड़) के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनॉकः 27–05–2026 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्करो को 1.0645 कि0ग्रा0 औजी गांजा (ओसियल ग्रीन/हाइड्रोपोनिक बीज (DRONABINOL) व 147 ग्राम MDMA (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01.22 करोड़) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– जितेन्द्र प्रजापति उर्फ जीतू पुत्र रूप किशोर निवासी मथुरा गेट पुलिस चौकी के सामने, वृन्दावन, मथुरा।

2– प्रेमकुमार प्रजापति पुत्र रूपकिशोर निवासी मथुरा गेट पुलिस चौकी के सामने, वृन्दावन, मथुरा।

3– बबलू शर्मा पुत्र सुधीर शर्मा निवासी कमल के किराये के मकान, मथुरा चौकी के सामने वृन्दावन, मथुरा।

4– श्रीमती नन्हीं देवी पत्नी रूपकिशोर निवासी मथुरा गेट पुलिस चौकी के सामने, वृन्दावन, मथुरा।

बरामदगी :–

1– 1.0645 कि0ग्रा0 औजी गांजा(ओसियल ग्रीन/हाइड्रोपोनिक बीज (DRONABINOL)) (**अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड़ 06 लाख रूपये**)

2– 147 ग्राम एमडीएमए (**अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 16 लाख रूपये**)

3– 05 अदद एण्ड्रॉइड मोबाइल फोन

4– 1500 रुपये नकद।

5– इलेक्ट्रॉनिक तराजू

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–27–05–2026 समय–22:51 बजे नवीन गौतम का मकान, शिवपुरी कालौनी, असोपा हॉस्पिटल थाना क्षेत्र सिकन्दरा, पुलिस कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को काफी दिनों से कमिश्नरेट आगरा, व आप–पास के जनपदों में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक–27–05–2026 को उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह, मु0आ0 विवेक कुमार सिंह, मु0आ0 प्रदीप कुमार, आरक्षी हरपाल, आरक्षी प्रदीप चौधरी व आरक्षी मानवेन्द्र, चालक महेश सिंह की एक टीम भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति, जिसका नाम जितेन्द्र प्रजापति उर्फ जीतू है, वह अपने साथी बबलू शर्मा के साथ दिल्ली से औजी गांजा और एमडीएमए लेकर आया हैं, जिसे नवीन गौतम का मकान, शिवपुरी कालौनी, असोपा हॉस्पिटल थाना क्षेत्र सिकन्दरा, पुलिस कमिश्नरेट आगरा में मौजूद है और क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहे हैं, उक्त सूचना को विकसित करते हुए एसटीएफ आगरा टीम द्वारा एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन व थाना सिकन्दरा पुलिस को साथ लेकर उपरोक्त स्थान से 04 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू प्रजापति से पूछतॉछ करने पर बताया कि मेरी मॉ श्रीमती नन्हीं देवी थाना वृन्दावन क्षेत्र मथुरा में 3–4 वर्ष पूर्व से गाजॉ व नशीला पदार्थ लाने व बेचने का कार्य कर रही थी तथा पानीपत व दिल्ली क्षेत्र से गांजा व अन्य नशीले पदार्थ लाकर सप्लाई करती थी। मेरी बहन सुमन का विवाह सौरभ निवासी ग्राम दहतोरा, चौकी पश्चिमपुरी, आगरा के साथ कर देने के उपरान्त मेरे जीजा सौरभ ने इस काम को करना शुरू किया, जीजा सौरभ के साथ मै भी दिल्ली, हरियाणा से नशीला पदार्थ लाने हेतु साथ आने जाने लगा। गांजा व नशीला पदार्थ कहां से मिलता है, इसकी जानकारी मेरी मॉ और जीजा सौरभ ने मुझको दी थी। कुछ समय पूर्व सौरभ की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होने के कारण इस काम को मैं व मेरा भाई प्रेम कुमार प्रजापति मॉ के साथ मिलकर करने लगे। बबलू शर्मा मेरा पड़ोसी है,

जिसे अपने साथ मिलाया चूंकि नशीला पदार्थ अधिक से अधिक क्षेत्रों में पहुॅचाया जा सके व आ–जाकर नशीला पदार्थ बिक्री किया जा सके। नशीला पदार्थ बिक्री के उद्देश्य से करीब 04 दिन पूर्व नवीन गौतम निवासी शिवपुरी कालौनी, असोपा हॉस्पिटल थाना क्षेत्र सिकन्दरा, पुलिस कमिश्नरेट आगरा का मकान किराये पर लिया तथा मै व बबलू शर्मा दिल्ली जाकर कुशाग्र नाम के व्यक्ति से गांजा व एमडीएमए लेकर आये थे, जिसे बेचने हेतु पुड़िया बना रहे थे, तभी आपने गिरफ्तार कर लिया गया। यह औजी गांजा है, जो कैलीफार्निया से आता है तथा सील्ड पैकिंग में इसका वजन 3.5 ग्राम होता है, जिसे साढ़े सात हजार रुपये में हम लोगों द्वारा ग्राहक को दिया जाता है। कुशाग्र के बारे में पूछने पर बताया कि वह वर्तमान में थाईलैण्ड में निवासित है, वह नशीले पदार्थ को अपने किसी आदमी से एकान्त स्थान पर रखवा देता है तथा हम लोग उस स्थान से माल लेकर पैसे वहीं रख कर चले आते हैं, उसके अलावा हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिकन्दरा, कमिश्नरेट आगरा पर मु0अ0सं0 257/26 धारा 8/20/22/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर थाना स्तर से विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 27–05–2026 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 25(8) आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। उक्त अभियोग की विवेचना एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

शैलेन्द्र सिंह राजपाल सिंह निवासी 69 गायत्री ग्रीन बाइपास रोड थाना कंकरखेड़ा, मेरठ।

बरामदगी–

01 अदद अवैध पिस्टल .30 बोर (फैक्ट्री मेड स्टार कम्पनी।

01 अदद स्टॉक रजिस्टर शिवा गन हाउस।

01 अदद शस्त्र विक्रय रजिस्टर शिवा गन हाउस।

01 अदद शिवा गन हाउस के लाइसेन्स की फोटो कापी।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

दिनांक 27–05–2026, समय 13.30 बजे स्थान–एसटीएफ कार्यालय मेरठ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध हथियारो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 23–11–2024 को एसटीएफ टीम द्वारा अभियुक्त रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहड्डा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 17 अवैध बन्दूको एवं 700 कारतूस सहित गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ में अभियोग पंजीकृत कराकर जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा की जा रही है।

उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में अब तक सरगना सहित कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों से 01 अदद US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद मैंगजीन US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन, 15 अदद जिन्दा कारतूस US RIFLE WINCHESTER .30 बोर कारबाईन, 01 अदद US RIFLE SPRING FIELD ARMORY .30 बोर एवं 01 अदद पम्प गन रिपीट 12 बोर, 01 अदद पिस्टल .45 बोर, 02 अदद पिस्टल .30 बोर आदि बरामद हुआ है।

दिनांक 27–05–2026 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक/विवेचक श्री रविन्द्र कुमार द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह को पूछताछ हेतु एसटीएफ मेरठ यूनिट बुलाया गया था। पूछताछ में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह ने पूछताछ पर बताया कि उसने उपरोक्त पिस्टल अपने परिचित व्यक्ति अनिल बालियान उर्फ बंजी से 02 लाख रूपये में कुछ वर्ष पहले खरीदा था तथा अभियुक्त अनिल बालियान के कहने पर ही मेजर हरेन्द्र सिंह के फर्जी नाम पते से अपने स्टॉक रजिस्टर में एन्ट्री की थी। उसके बाद उक्त पिस्टल को लाइसेन्सी व्यक्ति अमरपाल सिंह को धोखे में रखकर तीन लाख रूपये में बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2024 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस व 25(8) आर्म्स एक्ट पंजीकृत हैं अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद अमेठी/थाना मुसाफिरखाना

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 04 हजार रूपये नगद**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **लूट का एक महिन्द्रा पिकअप वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 28.05.2026 को थाना मुसाफिरखाना, थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मठाभुसुण्डा जंगल के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—आशीष 2—करन 3—संजय को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 04 हजार रूपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, लूट का एक महिन्द्रा पिकअप वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.05.2026 को थाना चांदा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चांदा पर

अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुसाफिरखाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष निवासी ख्वाजा नगर थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

2–करन निवासी कस्बा व थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

3–संजय निवासी कस्बा व थाना कोठी जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 04 हजार रूपये नगद।

2–लूट के 02 मोबाइल फोन।

3–लूट का एक महिन्द्रा पिकअप वाहन।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद बहराइच/थाना फखरपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 22 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सफेद धातु के आभूषण**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.05.2026 को थाना फखरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैदबाग बगिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–नन्दकुमार 2–ओबैदुर्रहमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 22 हजार रूपये नगद, चोरी के सफेद धातु के आभूषण, 03 मोबाइल फोन आदि, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना फखरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फखरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फखरपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नन्दकुमार निवासी अहिरपुरवा खालेपुरवा थाना रानीपुर जनपद बहराइच।

2–ओबैदुर्रहमान निवासी हुसैनपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी के 22 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सफेद धातु के आभूषण।

3–03 मोबाइल फोन।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

————————